

स्थाई निवास प्रमाण-पत्र
(शासनादेश संख्या 2588 / एक-4 / सा0प्र0 / 2001)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कु0/श्रीमती.....
पुत्र/पुत्री/ पत्नी श्री.....निवासी ग्राम/मोह./वार्ड.....
तहसील.....जिला..... उत्तराखण्ड के स्थायी निवासी है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रमाण पत्र निर्गत करने से पूर्व निर्धारित समस्त मानदण्डों की भली भांति जांच कर ली गई है, और मै जांच से पूर्णतया सन्तुष्ट हूँ।

हस्ताक्षर जिला मजिस्ट्रेट
नाम :
मोहर